सं.1/14013/5/2011.रा.भा.(नीति)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक12 अप्रैल, 2012

विषय:- कोड/मैनुअल आदि द्विभाषी रूप (हिंदी व अंग्रेजी) में मुद्रित कराने के संबंध में |

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, के नियम-II में यह व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय (डिगलॉट) रूप में मुद्रित एवं प्रकाशित किए जाएंगे | 31 अगस्त, 1976 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12012/5/76-रा.भा. (ख) के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस नियम की ओर दिलाते हुए उनसे कहा गया था कि मैनुअल और फार्म आदि सिर्फ अंग्रेजी में छपवाना नियम के विरूद्व है | उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वे मैनुअलों, कोडों और फार्मों की पांडुलिपियों को द्विभाषी रूप में तैयार करवांए और उन्हें द्विभाषी रूप में (डिगलॉट फार्म में) मुद्रणालयों को भेजें | मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे अपने नियंत्रणाधीन प्रेसों को तथा अन्य कार्यालयों को आवश्यक आदेश जारी करें कि इस बारे में सरकार की नीति का पूरी तरह से पालन करें और कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छपने के लिए स्वीकार न करें | 31 मई, 1988 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/8/88.रा.भा. (क- I) के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रकाशन निदेशालय को यह निर्देश दें कि कोड/मैनुअल आदि प्रिंटिंग के लिए वे तभी स्वीकार करें जब वे द्विभाषी रूप में भेजे जाएं | इन निर्देशों को सभी मंत्रालयों/विभागों को भी परिचालित किया गया था और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मुद्रण के लिए भेजे जाने वाली सामग्री द्विभाषी रूप में सरकारी मुद्रणालयों को भेजें | उनसे यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे अपने अधीनस्थं एवं संबद्व कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें |

अभी भी कुछ सरकारी प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग छापे जा रहे हैं | अत: शहरी विकास मंत्रालय तथा अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि सरकारी प्रकाशनों को द्विभाषी रूप में छपवाने से संबंधी उपर्युक्त नियम और आदेशों का मंत्रालयों/विभागों, संबद्व और अधीनस्थ कार्यालयों तथा बैकों/उपक्रमों आदि में पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें | कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजे और अपने अधीनस्थ कार्यालयों आदि को इस विषय में दिए गए निदेशों की एक प्रति भी उपलब्ध कराएं |

हरिन्द्र 12/4/2012

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (तकनीकी/नीति)
टेलीफैक्स:24617695

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी |